रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 425] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 1985/आश्विन 2, 1907
No. 425] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 1985/ASVINA 2, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, 24, सितम्बर, 1985

भोपाल गैस विभीषिका (दावा—रजिस्ट्रीकरण और कार्यवाही) स्कीम, 1985

सा. का. नि. 751 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावाकार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1)—इस स्कीम का संक्षिप्त नाम भोपाल गैस विभीषिका (दावा—रजिस्ट्रीकरण और कार्यवाही) स्कीम, 1985 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

3. दावों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकारी : अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त किए गए उपायुक्त, अपनी अधिकारिता के क्षेत्रों के भीतर उद्भूत होने वाले दावों के रजिस्ट्रीकरण के लिए (जिसके अंतर्गत स्कीम के पैरा 5 के अधीन ऐसे दावों की प्राप्ति, संवीक्षा और समुचित प्रवर्गीकरण भी हैं) प्राधिकारी होंगे और उनकी सहायता ऐसे अन्य अधिकारी करेंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार दावों और अन्य संबंधित मामलों की संवीक्षा और सत्यापन के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त करे।

4. दावा दाखिल करने की रीति—दावे का आवेदन इस स्कीम से संलग्न, यथास्थिति, प्ररूप सं. 1 या प्ररूप सं 2 या प्ररूप सं. 3 या प्ररूप सं. 4 में, दावों के लिए आवेदन मांगने वाले आयुक्त द्वारा अधिसूचित तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, संबंधित उपायुक्त को किया जाएगा :

परन्तु, यदि उपायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि दावेदार, पर्याप्त कारणों से, साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर दावे का आवेदन दाखिल करने से निवारित था तो वह साठ दिन की और अवधि के भीतर, किंतु उसके पश्चात् नहीं दावे के आवेदन को ग्रहण कर सकेगा।

(2) उप-पैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भोपाल गैस विभीषिका के कारण भविष्य में उद्भूत होने वाले दावों के लिए आवेदन, उक्त उप-पैरा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी और अवधि के भीतर उपायुक्त को किया जा सकेगा, जो वह, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) दावा भोपाल गैस विभीषिका से प्रभावित किसी भी व्यक्ति द्वारा या मृतक के पति या पत्नी, संतान या अन्य वारिसों द्वारा, या ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, या, इस प्रकार प्रभावित किसी अवयस्क की दशा में, उसके संरक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक दावेदार स्कीम के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट दावे के प्रत्येक प्रवर्ग की बाबत एक पृथक् दावा प्ररूप दाखिल करेगा। दावा दाखिल करने के प्रत्येक व्यक्ति की बाबत यह माना जाएगा कि उसका एक ही दावा है कि चाहे उसमें दावे के कितने ही प्रवर्ग क्यों न सम्मिलित हों।

(5) उपायुक्त, आवेदन दाखिल करने के लिए अपेक्षित प्ररूप मुफ्त उपलब्ध कराएगा।

5. दावों का प्रवर्गीकरण और रजिस्ट्रीकरण : (1) उपायुक्त, स्कीम के पैरा 4 के अधीन कोई दावा प्राप्त होने पर, उप-पैरा (3) और उप-पैरा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दावे को उप-पैरा (2) के अधीन समुचित प्रवर्ग में रखेगा और उसके पश्चात् दावे को रजिस्टर करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त दावों को निम्नलिखित प्रवर्गों में रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) मृत्यु;

(ख) पूर्ण निःशक्तता, जिसके परिणामस्वरूप जीविका उपार्जन से स्थायी रूप से असमर्थता हो जाए;

(ग) स्थायी आंशिक निःशक्तता जिससे किसी व्यक्ति की अपनी जीविका के उपार्जन की संपूर्ण क्षमता प्रभावित हो जाए;

(घ) अस्थायी आंशिक निःशक्तता, जिसके परिणामस्वरूप जीविका उपार्जन की क्षमता कम हो जाए;

(ङ) जीविका के साधनों की अस्थायी अस्तव्यस्तता;

(च) भोपाल गैस विभीषिका से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था करने में उपगत व्यय के लिए सरकार, सरकार के नियंत्रण के अधीन प्राधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों और संस्थाओं के दावे;

(छ) भोपाल गैस विभीषिका से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपगत प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विधिक और प्रशासनिक व्यय भी हैं जिन्हें उक्त विभीषिका से हुआ माना जा सकता है या जो उससे संबंधित हैं;

(ज) भोपाल गैस विभीषिका से उद्भूत, या उससे संबंधित सरकार, सरकार के नियंत्रण के अधीन प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों को राजस्व की हानि की बाबत दावे;

(झ) प्राणियों जिसके अंतर्गत बुधारू और शुष्क पशु भी हैं को हुए नुकसान के कारण दावे;

(ञ) पेड़-पौधों के नुकसान से उद्भूत दावे, जिसके अंतर्गत कृषि फसलों, वनस्पतियों, वृक्षों और बागानों का नष्ट होना भी है;

(ट) पर्यावरण के नुकसान के कारण दावे, जिसके अंतर्गत मृदा, पेड़-पौधों, प्राणियों और जल पद्धतियों को प्रदूषण भी है;

(ठ) संपत्ति की हानि और विनाश से संबंधित दावे;

(ड) कारबार या नियोजन, या दोनों की हानि से संबंधित दावे;

(ढ) उन क्षतियों की बाबत दावे जिनके भोपाल गैस विभीषिका के कारण सहन करने की संभावना है;

(ण) कोई अन्य दावा या दावे जिसे या जिन्हें उपायुक्त ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, भोपाल गैस विभीषिका से उद्भूत या उससे संबद्ध, अवधारित करे।

(3) स्कीम के पैरा 4 के अधीन किए गए किसी दावे पर विचार करने पर यदि उपायुक्त की यह राय हो कि दावा, दावेदार द्वारा उल्लिखित प्रवर्ग से भिन्न किसी प्रवर्ग के अंतर्गत आता है तो वह, दावेदार को सुनवाई का अवसर देने, और सरकार द्वारा या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा इस निमित्त उपलब्ध किन्हीं तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् समुचित प्रवर्ग का विनिश्चय कर सकता है।

(4) जहां उपायुक्त की यह राय है कि पैरा 4 के अधीन किया गया दावा, ऊपर उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है तो वह दावे को रजिस्टर करने से इंकार कर सकता है :

परन्तु इस प्रकार इंकार करने से पूर्व वह, दावेदार को व्यक्तिगत सुनवाई का एक उचित अवसर देगा।

(5) यदि उप-पैरा (3) या उप-पैरा (4) के अधीन उपायुक्त के आदेश से दावेदार संतुष्ट नहीं है तो वह, ऐसे आदेश के विरुद्ध, आयुक्त को अपील कर सकता है, जो उसका विनिश्चय करेगा।

(6) उप-पैरा (5) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील ईप्सित है, अपील करने वाले दावेदार को संसूचित किया जाता है, साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में दाखिल की जाएगी, जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे।

(7) आयुक्त, आदेश पारित करने से पूर्व दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देगा और इस उप-पैरा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति, आयुक्त द्वारा उपायुक्त और दावेदार को भेजी जाएगी।

(8) उपायुक्त दावेदार के दावे का प्रवर्गीकरण और रजिस्ट्रीकरण कर लेने पर, इसकी जानकारी आयुक्त को देगा जो उसे केन्द्रीय सरकार को सोंपित करेगा जिससे कि वह अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में समर्थ हो सके।

6. दावों के प्रवर्गीकरण के लिए विचार किए जाने योग्य विषय : उपायुक्त स्कीम के पैरा 5 के अधीन दावों का प्रवर्गीकरण और रजिस्ट्रीकरण करते समय,—

(क) भोपाल गैस विभीषिका से उद्भूत या उससे संबंधित मामलों की बाबत सरकार द्वारा, या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा, संग्रहीत और उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर सम्यक् रूप से विचार करेगा और महत्व देगा;

(ख) उसके समक्ष किए गए दावों पर समुचित विचार करने के लिए, जहां तक साध्य हो, भारत में या भारत से बाहर विभिन्न न्यायालयों या अन्य प्राधिकारियों के समक्ष दाखिल किए गए दावों की प्रतियां अभिप्राप्त करेगा।

7. अभिलेख रखना (i) आयुक्त दावों के आवेदनों की प्राप्ति के क्रम के अनुसार दावों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए एक रजिस्टर, और पैरा (5) में यथा अधिकथित प्रवर्गानुसार दावों को सूचीबद्ध करने के लिए एक रजिस्टर रखवाएगा।

(2) आयुक्त, इस स्कीम में उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अभिलेख या रजिस्टर रखवाएगा जैसे वह आवश्यक समझता है।

8. प्रक्रिया : आयुक्त को स्वयं अपनी और धारा 6 के अधीन नियुक्त किए गए उपायुक्त और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा, इस स्कीम के अधीन उसके या उनके कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत सभी विषयों में, जिनके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां वह बैठक करेगा, अपनाई जाने वाली, प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

9. दावा कार्यवाही लेखा निधि (1) केन्द्रीय सरकार, एक निधि का सृजन और अनुरक्षण करेगी जो दावा कार्यवाही लेखा निधि कहलाएगी।

(2) निधि में वह राशि जो केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, उक्त निधि में जमा करे और कोई अन्य रकमें, जो ऐसी निधि में जमा की जाए, सम्मिलित होंगी।

(3) आयुक्त, उक्त निधि की रकम या रकमों का उपयोग इस स्कीम के और अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में व्ययों का वहन करने के लिए करेगा।

10. दावे और राहत निधि : (1) केन्द्रीय सरकार एक निधि का सृजन और अनुरक्षण करेगी जो दावा और राहत निधि कहलाएगी।

(2) निधि में वह रकमें जो दावों के तुष्टि के लिए प्राप्त होती है और कोई अन्य रकमें जो आयुक्त को दान के रूप में या राहत प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, सम्मिलित होंगी।

(3) उक्त निधि की रकमों का उपयोग आयुक्त निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगा, अर्थात् :—

(क) उपायुक्तों के पास रजिस्ट्रीकरण दावों के निपटारे के लिए रकमों का संवितरण;

(ख) भोपाल गैस विभीषिका से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के रूप में (जिसके अंतर्गत अंतरिम राहत भी है) रकमों का संवितरण; और

(ग) भविष्य में उद्भूत होने वाले दावों के निपटारे के लिए रकमों के संवितरण के लिए या मध्य प्रदेश की सरकार को, भोपाल गैस विभीषिका से प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए रकमों के संवितरण के लिए निधि का भागतः प्रभाजन।

(4) दावों के निपटारे के लिए और राहत प्रयोजनों के लिए रकमों की प्राप्ति और संवितरण के लिए पृथक लेखे रखे जाएंगे।

11. कतिपय रकमों का संवितरण, प्रभाजन, आदि :— (1) उपायुक्त इस स्कीम के अधीन प्रत्येक दावेदार को रकमों का संवितरण बैंक या डाक बचत खाते में जमा करके करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, दावों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए प्रमाजित की जाने वाली प्रतिकर की कुल रकम और प्रत्येक प्रकार की क्षति या हानि के संबंध में साधारणतया, देय प्रतिकर की मात्रा का अवधारण कर सकेगी।

(3) उपायुक्त, किसी विनिर्दिष्ट मामले में किसी न्यायालय आदेश, या निपटारे या नुकसानों के पंचाट के अधीन रहते हुए, पैरा 5 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के भीतर प्रत्येक दावेदार को देय प्रतिकर की मात्रा का अवधारण, उपपैरा (4) के उपबंधों के अनुसार करेगा।

(4) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रवर्गों के भीतर दावेदारों को देय प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने में

अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का भी ध्यान रखा जाएगा, अर्थात :—

(क) भोपाल गैस विभीषिका से प्रभावित व्यक्तियों की अधिसंभाव्य जीवन अवधि;

(ख) इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति की वास्तविक या निरुपित उपार्जन क्षमता ;

(ग) इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति के तुरंत और प्रत्याशित चिकित्सीय उपचार पर संभावित व्यय ;

(घ) भोपाल गैस विभीषिका में किसी व्यक्ति द्वारा सहन की गई मानसिक वेदना और शारीरिक क्षति; और

(ङ) इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सहन की गई शारीरिक क्षति का रूप और उग्रता।

(5) दावों की तुष्टि के लिए प्राप्त रकमों के संवितरण के बारे में किसी विवाद की दशा में उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त को होगी जो मामले का विनिश्चय कर सकेगा और इस प्रकार से संवितरण कर सकेगा जैसे वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपयुक्त समझे।

(6) स्कीम के पैरा 5 के उपपैरा (6) और (7) के उपबंध उपपैरा (5) के अधीन अपील को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस पैरा के उपपैरा (5) के अधीन अपील को लागू होते हैं।

12. लेखाओं की संपरीक्षा :—आयुक्त इस स्कीम के पैरा 9 और 10 के अधीन समृति और अनुरक्षित निधियों के प्रवर्तन के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक लेखा बहिया रखवाएगा और उक्त लेखा बहियों की, संपरीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी।

13. आयुक्त और अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियों, आदि के कृत्य :—(1) आयुक्त इस स्कीम के अधीन दाखिल किए गए दावों की प्राप्ति, रजिस्ट्रीकरण, कार्यवाही और निपटारे से संबंधित कार्य और उक्त स्कीम के प्रशासन के संबंध में सभी अन्य मामलों के पर्यवेक्षण का भारसाधक होगा।

(2) आयुक्त, इस स्कीम के अधीन दाखिल किए गए किसी दावे के अभिलेख को स्वप्रेरणा से मांग सकता है और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो उसमें पारित आदेश का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, पुनरीक्षण कर सकता है :

परंतु जहां पुनरीक्षण आदेश से दावेदार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है वहां ऐसा पुनरीक्षण आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दावेदार को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शाने का उचित अवसर नहीं दिया जाता।

(3) अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त किए गए सभी अधिकारी आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे और स्कीम तथा अधिनियम के उपबंधों के दिन प्रतिदिन प्रशासन में उसकी सहायता करेंगे।

[सं. 21(10)/85-सी एच—1]

श्यामल घोष, संयुक्त सचिव

प्रकप सं. 1

(पैरा 4 देखिए)

(भोपाल गैस विभीषिका के कारण मरने वाले व्यक्तियों की बाबत दावों के लिए)

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)
2. पता
3. मृतक की ओर से प्रतिकार का दावा करने वाले आवेदक की मृतक के साथ नातेदारी
4. मृतक की विशिष्टियां :
   (क) नाम
   (ख) पिता/पति का नाम
   (ग) वह पता जिस पर भोपाल गैस विभीषिका के दिन निवासी था
   (घ) आयु
   (ङ) वृत्ति और मासिक आय के ब्यौरे
   (च) पति/पत्नी और अन्य आश्रितों के नाम और आयु :—

क्रम सं.	नाम	मृतक के साथ नातेदारी	आयु	वृत्ति और आय	कोई अन्य विशिष्टियां
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

5. मृत्यु की विशिष्टियां :
   (क) मृत्यु की तारीख और सही स्थान
   (ख) मृत्यु का कारण (शवपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई है, संलग्न कीजिए)
   (ग) मृत्यु का सबूत (मृत्यु प्रमाणपत्र, अस्पताल दस्तावेज, आदि की प्रतियां संलग्न कीजिए)
   (घ) दाह संस्कार या दफनाने की तारीख (दाहगृह/कब्रिस्तान के प्राधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज, यदि कोई है, के सहित)

6. वह प्रवर्ग जिसमें दावा आता है [स्कीम का पैरा 5 (1) देखिए]

7. सरकार या उसके अभिकरणों से पहले ही प्राप्त अनुकम्पा संदाय राहत के ब्यौरे ।
   (क) नकद में
   (ख) वस्तु रूप में
   (ग) अन्य रूप में ,

8. कोई अन्य सुसंगत जानकारी

*मैंने प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा नहीं किया है/मैंने प्रतिकर के लिए अन्य दावे किए हैं जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

क्रम सं.	प्रकरण सं.	तारीख	दावाकृत प्रतिकर

*मैंने प्रतिकर के लिए न्यायालय में कोई पृथक वाद दाखिल नहीं किया है/मैंने न्यायालय में वाद दाखिल किया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं.	न्यायालय जिसमें वाद दाखिल किया गया है	वाद सं.	दावाकृत प्रतिकर

*जो लागू नहीं होता हो उसे काट दीजिए

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर और तारीख

साक्षी :
हस्ताक्षर :
नाम :
पता :

सत्यापन

मैं,....., घोषणा करता हूं कि जो कुछ ऊपर कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य कथित है ।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर और तारीख

साक्षी :
हस्ताक्षर :
नाम :
पता :

चेतावनी :—दुर्व्यपदेशन करने वाला व्यक्ति अभियोजन के दायित्वाधीन होगा ।

प्रकरण 2

(पैरा 4 देखिए)

(भोपाल गैस विभीषिका में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की बाबत दावों के लिए)

1. दावेदार/आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)
2. पता
3. दावेदार के साथ आवेदक की नातेदारी

4. वह हैसियत जिससे आवेदक दावेदार की ओर से क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर रहा है [स्कीम का पैरा 4 (2) देखिए]

5. क्षतिग्रस्त व्यक्ति की विशिष्टियां :

(क) नाम
(ख) पिता/पति का नाम
(ग) पता
(घ) आयु
(ङ) वृत्ति और मासिक आय, यदि कोई है, के ब्यौरे
(च) पति/पत्नी और अन्य आश्रितों के नाम और आयु

क्रम सं.	नाम	क्षतिग्रस्त व्यक्ति के साथ नातेदारी	आयु	वृत्ति और आय	कोई अन्य विशिष्टियां
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

6. क्षति की विशिष्टियां :

(कृपया दस्तावेजी सबूत के रूप में डाक्टर/अस्पताल का प्रमाणपत्र, दवाईपत्र, आदि संलग्न कीजिए, यदि वह उपलब्ध है)

(क) क्षति की प्रकृति और क्षतिग्रस्त व्यक्ति की वर्तमान शारीरिक स्थिति
(ख) क्या अस्पताल में रहा है ? यदि हां, तो अस्पताल में रहने, प्राप्त किए गए उपचार, आदि के ब्यौरे दीजिए
(ग) अस्पताल में रहने और चिकित्सा पर उपगत व्यय
(घ) यदि उपचार चल रहा है तो उल्लेख कीजिए कि वह कब तक चलेगा और मासिक अनुमानित व्यय क्या है ?

7. वह प्रवर्ग जिसमें दावा आता है [स्कीम का पैरा 5 (2) देखिए]

8. सरकार या उसके अभिकरणों से पहले ही प्राप्त अनुकम्पा संदाय/राहत के ब्यौरे:—

(क) नकद में
(ख) वस्तु रूप में
(ग) अन्य रूप में

9. कोई अन्य सुसंगत जानकारी

*मैंने प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा नहीं किया है । मैंने प्रतिकर के लिए अन्य दावे किए हैं जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:—

क्रम सं.	प्ररूप सं.	तारीख	दावाकृत प्रतिकर

*मैंने प्रतिकर के लिए न्यायालय में कोई पृथक वाद दाखिल नहीं किया है/मैंने न्यायालय में वाद दाखिल किया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं.	न्यायालय जिसमें वाद दाखिल किया गया है	वाद सं.	दावाकृत प्रतिकर

*जो लागू नहीं होता हो उसे काट दीजिए ।

स्थान ।

आवेदक के हस्ताक्षर और तारीख

साक्षी :
हस्ताक्षर :
नाम :
पता

सत्यापन

मैं,.....,घोषणा करता हूं कि जो कुछ ऊपर कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य कथित है ।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर और तारीख

साक्षी :

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

चेतावनी :—दुर्व्यपदेशन करने वाला व्यक्ति अभियोजन के दायित्वाधीन होगा ।

प्ररूप सं. 3

(पैरा 4 देखिए)

(भोपाल गैस विभीषिका के कारण सम्पत्ति, जीविका के साधन, कारबार आदि की हानि की बाबत दावों के लिए)

1. दावेदार का नाम (बड़े अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम
3. पता
4. आयु
5. वृत्ति और मासिक आय के ब्यौरे
6. नष्ट/नुकसान हुई सम्पत्ति की विशिष्टियां
   (कृपया जहां उपलब्ध हो वहां सबूत दीजिए)
   (क) अचल सम्पत्ति
   (ख) चल संपत्ति जिसके अंतर्गत फसलें/बागान/वृक्ष/पशु, आदि भी हैं ।
7. जीविका, नियोजन/कारबार के हानि के कारण आय की हानि की विशिष्टियां
8. वह प्रवर्ग जिसमें दावा आता है [स्कीम का पैरा 5 (2) देखिए]
9. सरकार और उसके अभिकरणों से पहले ही प्राप्त अनुकंपा संदाय/राहत
   (क) नकद में
   (ख) वस्तु रूप में
10. सरकार या अन्य अभिकरण से प्राप्त ऋण और/या उपदान की विशिष्टियां और अभिकरण की विशिष्टियां
11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी

* मैंने/हमने/संस्था ने प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा नहीं किया है / मैंने प्रतिकर के लिए अन्य दावे किए हैं जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

क्रम सं.	प्ररूप सं.	तारीख	दावाकृत प्रतिकर

* मैंने/हमने/संस्था ने प्रतिकर के लिए न्यायालय में कोई पृथक् वाद दाखिल नहीं किया है/मैंने न्यायालय में वाद दाखिल किया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

क्रम सं.	न्यायालय जिसमें वाद दाखिल किया गया है	वाद सं.	दावाकृत/प्रतिकर

*जो लागू नहीं होता हो उसे काट दीजिए ।

स्थान

साक्षी :

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

हस्ताक्षर और तारीख

नाम :

पदाभिधान :

(मुद्रा, यदि कोई है)

सत्यापन

मैं ....., घोषणा करता हूं कि जो कुछ ऊपर कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य कथित है।

स्थान :
साक्षी :
हस्ताक्षर :
नाम :
पता :

हस्ताक्षर और तारीख
नाम
पदाभिधान
(मुद्रा यदि कोई है)

चेतावनी : दुर्व्यपदेशन करने वाला व्यक्ति अभियोजन के दायित्वाधीन होगा।

प्ररूप 4

(पैरा 4 देखिए)

(भोपाल गैस विभीषिका के कारण सरकार, सरकार के नियंत्रण के अधीन प्राधिकारियों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपगत व्यय, राजस्व की हानि, आदि के कारण दावों के लिए)

1. दावेदार का नाम :
2. सरकार है या सरकार के नियंत्रण के अधीन प्राधिकारी है या स्थानीय प्राधिकारी है ?
3. भोपाल गैस विभीषिका के संबंध में भूमिका;
4. विभिन्न शीर्षों, जैसे उपस्कर, भंडार और आपूर्तियों, सहायता और पुनर्स्थान कार्य, तकनीकी सेवाओं के अधीन उपगत व्यय तथा उनके समर्थन में दस्तावेज
5. संपत्ति को हुई हानि/नुकसान और उसके ब्यौरे :
6. आय/राजस्व की हानि और उसके ब्यौरे :
7. कोई अन्य हानि (ब्यौरे सहित) :
8. वह प्रवर्ग जिसमें दावा आता है [स्कीम का पैरा (2) देखिए]

*.....सरकार। .....प्राधिकारी ने प्रतिकर के लिए कोई अन्य दावा नहीं किया है।.....सरकार। .....प्राधिकारी ने प्रतिकर के लिए अन्य दावे किए हैं: जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

क्रम सं.	प्ररूप सं.	तारीख	दावाकृत प्रतिकर

*.....सरकार। .....प्राधिकारी के प्रतिकर के लिए न्यायालय में पृथक वाद दाखिल नहीं किया है।.....सरकार। .....प्राधिकारी ने न्यायालय में वाद दाखिल किया है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	न्यायालय जिस में वाद दाखिल किया गया है	वाद सं.	दावाकृत प्रतिकर

* जो लागू नहीं होता हो तो उसे काट दीजिए।

स्थान :
तारीख :
साक्षी
हस्ताक्षर :
नाम :
पता :

हस्तलेख
नाम
पदाभिधान
मुद्रा

सत्यापन

मैं, ... घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य कथित है।

स्थान	:	हस्ताक्षर
		(तारीख सहित)
साक्षी	:	नाम :
हस्ताक्षर	:	पदाभिधान :
नाम	:	(मुद्रा)
पता	:	

चेतावनी : दुर्व्यपदेशन करने वाला व्यक्ति अभियोजन के दायित्वाधीन होगा।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

New Delhi, 24th September, 1985

BHOPAL GAS LEAK DISASTER (REGISTRATION AND PROCESSING OF CLAIMS) SCHEME, 1985

G.S.R. No. 751(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby frame the following scheme, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) Scheme, 1985.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. Definitions :—In this Scheme, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985);

(b) "Section" means a Section of the Act;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Authorities for registration of Claims :—The Deputy Commissioners appointed under Section 6 of the Act shall be the authorities for registration of Claims (including the receipt, scrutiny and proper categorisation of such claims under paragraph 5 of the Scheme) arising within the areas of their respective jurisdiction and they shall be assisted by such other officers as may be appointed by the Central Government under Section 6 of the Act for scrutiny and verification of the claims and other related matters.

4. Manner of filing claims:—(1) An application for claims shall be made to the Deputy Commissioner concerned in Form No. 1 or, as the case may be, Form No. 2 or Form No. 3 or Form No. 4 appended to this Scheme within a period of sixty days from the date notified by the Commissioner inviting applications for claims :

Provided that if the Deputy Commissioner is satisfied that the claimant was prevented by sufficient cause from filing the application for the claims within the said period of sixty days, he may entertain the application for the claim within a further period of sixty days but not thereafter.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) an application for a claim arising in future on account of the Bhopal gas leak disaster may be made to the Deputy Commissioner within such further period, after the expiry of the period specified in the proviso to the said sub-paragraph (1) as he may specify from time to time.

(3) The claim may be made by any person affected by the Bhopal gas leak disaster or, as the case may be, by the spouse, children or other heirs of such deceased person, or by a representative duly authorised by such person in this behalf or, in the case of a minor so affected, by his guardian.

(4) A separate claim form in respect of each category of claim specified in paragraph 5 of the Scheme shall be filed by each person having a claim. Each person filing a claim shall be considered to have a single claim regardless of the number of categories of claim included therein.

(5) The Deputy Commissioner shall provide the required forms for filing the applications free of cost.

5. Categorisation and registration of claims :—(1) On receipt of a claim under paragraph 4 of the Scheme, the Deputy Commissioner shall subject to the provisions of sub-paragraph (3) and sub-paragraph (4), place the claim in the appropriate category under sub-paragraph (2) and thereafter register the claim.

(2) The claims received for registration shall be placed under the following categories, namely :—

(a) death;

(b) total disablement resulting in permanent disability to earn livelihood;

(c) permanent partial disablement affecting the overall capacity of a person to earn his livelihood;

(d) temporary partial disablement resulting in reduced capacity to earn livelihood;

(e) temporary dislocation of means of livelihood;

(f) claims of the Government, authorities under the control of the Government local authorities and institutions for expenses incurred in providing relief, aid and rehabilitation to the persons affected by the Bhopal gas leak disaster;

(g) administrative expenses incurred by the Central Government, Government of Madhya Pradesh or local authorities, to cope up with the Bhopal gas leak disaster, including all legal and administrative expenses attributable or related to the said disaster;

(h) claims relating to loss of revenue to Government, authorities under the control of Government or local authorities arising out of, or connected with the Bhopal gas leak disaster;

(i) claims on account of damage to the fauna including milch and draught animals;

(j) claims arising from damage to flora including destruction of agricultural crops, vegetables, trees and orchards;

(k) claims on account of damage to environment including pollution of soil, flora, fauna and water systems;

(l) claims relating to loss and destruction of property;

(m) claims relating to loss of business of employment or both;

(n) claims in respect of injuries that are likely to be suffered on account of the Bhopal gas leak disaster;

(o) any other claim or claims which the Deputy Commissioner may determine for reasons to be recorded in writing, as arising out of, or connected with, the Bhopal gas leak disaster.

(3) On the consideration of a claim made under paragraph 4 of the Scheme, if the Deputy Commissioner is of the opinion that the claim falls in a category different from the category mentioned by the claimant, he may decide the appropriate category after giving an opportunity to the claimant to be heard and also after taking into consideration any facts made available to him in this behalf by the Government or the authorities authorised by the Government in this behalf.

(4) Where the Deputy Commissioner is of the opinion that a claim made under paragraph 4 does not fall in any of the categories specified in sub-paragraph (2) he may refuse to register the claim :

Provided that before so refusing, he shall give a reasonable opportunity for a personal hearing to the claimant.

(5) If the claimant is not satisfied with the order of the Deputy Commissioner under sub-paragraph (3) or sub-paragraph. (4) he may prefer an appeal against such order to the Commissioner, who shall decide the same.

(6) Every appeal under sub-paragraph (5) shall be filed in such Form, as may be specified by the Commissioner, within 60 days from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the claimant prefering the appeal.

(7) The Commissioner shall give a reasonable opportunity to the claimant of being heard before passing an order and a copy of every order passed under this sub-paragraph shall be sent by the Commissioner to the Deputy Commissioner and the claimant.

(8) On categorisation and registration of the claim of a claimant, the Deputy Commissioner shall make available the information to the Commissioner who may transmit the same to the Central Government for enabling it to discharge its function under Section 3 of the Act.

6. Matters to be taken into consideration for categorisation of claims :—The Deputy Commissioner, while categorising and registering the claims under paragraph 5 of the Scheme shall :

(a) give due consideration and weightage to the data, collected and provided by the Government or the authorities authoised by the Government in his behalf, relating to cases arising out of, or connected with the Bhopal gas leak disaster;

(b) obtain copies of claims filed in different courts or before other authorities, whether within or outside India, to the extent feasible, for proper consideration of the claims made before him.

7. Maintenance of records :—(1) The Commissioner shall cause to be maintained a register for registration of claims in serial order according to the

receipt of applications for claims and a register for listing the claims, category-wise, as laid down in paragraph 5.

(2) The Commissioner may also cause to be maintained such other record or register as he may deem necessary for the purpose of carrying out the provisions of this Scheme.

8. Procedure :— The Commissioner shall have the power to regulate his own procedure, and the procedure to be followed by the Deputy Commissioner and other officers and employees appointed under section 6, in all matters arising out of discharge of his or, as the case may be, their functions under this Scheme, including the place or places where he shall hold his sittings.

9. Processing of Claims Account Fund :—(1) There shall be created and maintained by the Central Governmeni a Fund to be called the Processing of Claims Account Fund.

(2) The Fund shall include the amount which the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in that behalf, credit to the said Fund and any other amounts which may be credited to such Fund.

(3) The amount, or as the case may be, the amounts in the said Fund shall be applied by the Commissioner for meeting expenses in connection with the administration of this Scheme and of the provisions of the Act.

10. Claims and Relief Fund :—(1) There shall be created and maintained by the Central Government a Fund to be called the Claims and Relief Fund.

(2) The Fund shall include the amounts received in satisfaction of the claims and any other amounts made available to the Commissioner as donation or for relief purposes.

(3) The amounts in the said Fund shall be applied by the Commissioner for the following purposes, namely : —

(a) disbursal of amounts in settlement of claims registered with the Deputy Commissioners ;

(b) disbursal of amounts as relief (including interim relief) to the persons affected by the Bhopal gas leak disaster; and

(c) appointment of part of the Fund for disbursal of amounts in settlement of claims arising in future or for disbursal of amounts to the Government of Madhya Pradesh for the social and economic rehabilitation of the persons affected by the Bhopal gas leak disaster.

(4) Separate accounts shall be maintained for receipt and disbursal of amounts in settlement of claims and for relief purposes.

11. Disbursal, apportionment, etc. of certain amounts :—(1) The disbursal of any amounts under this Scheme shall be made by the Deputy Commissioner to each claimant through credit in a bank or postal saving account.

(2) The Central Government may determine the total amount of compensation to be apportioned for each category of claims and the quantum of compensation payable, in general, in relation to each type of injury or loss.

(3) The Deputy Commissioner shall determine the quantum of compensation payable to each claimant within a category specified in paragraph 5 in accordance with the provisions of sub-paragraph (4), subject to any court order, settlement or award of damages in any specific case.

(4) In determining the quantum of compensation payable to the claimants within different categories specified in paragraph 5, regard shall be had amongst other factors, to the following factors, namely :—

(a) the probable life span of the person affected by the Bhopal gas leak disaster;

(b) the actual or projected earning capacity of the person so affected;

(c) the likely expenditure on immediate and anticipated medical treatment of the person so afiected;

(d) mental anguish and physical injury suffered by a person in the Bhopal gas leak disaster; and

(e) the type and severity of physical injury suffered by the persons so affected.

(5) In the event of a dispute as to disbursal of the amounts received in satisfaction of claims, an appeal shall be against the order of the Deputy Commissioner to the Commissioner, who may decide the matter and make such disbursal as he may, for reasons to be recorded in writing; think fit.

(6) The provisions of sub-paragraphs (6) and (7) of paragraph 5 of the Scheme shall apply to the appeal under sub-paragraph (5) as they apply to the appeal under sub-paragraph (5) of that paragraph.

12. Audit of accounts :—The Commissioner shall cause to be maintained all necessary books of accounts required for operating the funds created and maintained under paragraphs 9 and 10 of this Scheme and the said books of accounts shall be audited by the auditors appointed by the Central Government.

13. Functions of the Commissioner and other officers, etc., appointed under Section 6 of the Act: (1) The Commissioner shall be in charge of supervising the work relating to receipt registration, processing and settlement of claims filed under this Scheme and all other matters connected with the administration of the said Scheme.

(2) The Commissioner may, suo-moto, call for the record of any claim filed under this Scheme and if he considers it necessary or expedient so to do, revise, for reasons to be recorded in writing, the order passed thereon :

Provided that where the order in revision is likely to be prejudicial to the interests of the claimant, no such order shall be passed in revision unless the claimant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(3) All officers appointed under Section 6 of the Act shall work under the supervision of the Commissioner and assist him in carrying out the day-to-day administration of the Scheme and the provisions of the Act.

[No. 21(10)/85-CH.I]
SHYAMAL GHOSH, Joint Secy.

FORM NO. 1

(See paragraph 4)

(For claims in respect of persons who died due to the Bhopal leak disaster)

1. Name of the applicant
(Capital Letters)
2. Address
3. Relationship of the applicant to the deceased claiming compensation on behalf of the deceased.
4. Particulars of the deceased :
   (a) Name
   (b) Father's/husband's name
   (c) Address at which resident on the date of Bhopal gas leak disaster
   (d) Age
   (e) Occupation with details of monthly income
   (f) Name and age of spouse and of other dependents

Sl. No.	Name	Relationship to the deceased	Age	Occupation with income	Any other particulars
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

5. Particulars of death :
   (a) Date and exact place of death
   (b) Cause of death (enclose autopsy report, if any)
   (c) Proof of death (enclosed copies of death certificate, hospital documents, etc.)
   (d) Date of cremation or burial (with documents, if any, from cremation/burial ground authorities)

6. Category in which the claim falls
[See paragraph 5(1) of the Scheme].

7. Details of any ex-gratia payment/relief already received from Government or its agencies :

(a) In cash

(b) In kind

(c) Otherwise

8 Any other relevant information

*I have not made any other claim for compensation/I have made other claims for compensation, the particulars of which are given below :—

Sl. No.	Form No.	Date	Compensation sought

*I have not filed a separate suit in a court of law for compensation/I have filed suit as detailed below in court of Law :—

Sl.No.	Court where suit filed	Suit No.	Compensation sought

*Strike out whichever is not applicable.

Place :

Signature of the applicant
with date

Witness :

Signature :

Name :

Address :

Verification

I,——————————————do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

Signature of the applicant
with date

Place :

Witness :

Signature :

Name :

Address :

Warning : Any person making any misrepresentation is liable to be prosecuted.

FORM NO, 2.

(See paragraph 4)

(For claims in respect of persons who were injured in the Bhopal Gas Leak Disaster)

1. Name of the claimant/applicant (Capital letters)
2. Address
3. Relationship of the applicant to the claimant.
4. Capacity in which the applicant is claiming compensation on behalf of the claimant. [See paragraph 4(2) of the Scheme]
5. Particulars of the injured :
   (a) Name
   (b) Father's/husband's name
   (c) Address
   (d) Age
   (e) Occupation with details of monthly income, if any.
   (f) Name and age of spouse and of other dependents

Sl. No.	Name	Relationship to the injured	Age	Occupation with income	Any other particulars
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

6. Particulars of injury :

   (Please enclose doctor's/hospital certificate, prescription etc. as documentary proof, where available)
   (a) Nature of injury and present state of health of injured person.
   (b) Whether hospitalised : If so, give details of hospitalisation, treatment received, etc.
   (c) Expenses incurred on hospitalisation and medical expenses.
   (d) If treatment is still continuing, indicate as to how long it will continue with monthly anticipated expenditure

Category in which the claim falls
[See paragraph 5(1) of the Scheme]

8 Details of any ex-gratia payment/relief already received from Government or its agencies :—

(a) In cash

(b) In kind

(c) Otherwise

9. Any other relevant information

*I have not made any other claim for compensation/I have made other claims for compensation, the particulars of which are given below : —

Sl No.	Form No.	Date	Compensation sought

*I have not filed a separate suit in a court of law for compensation/I have filed suit as detailed below in court of Law :

Sl.No.	Court where suit filed	Suit No.	Compensation sought

Signature of the applicant with date

Place :

Witness :

Signature :

Name :

Address :

*Strike out whichever is not applicable.

Verification

I———————do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

Place.

Signature of the applicant with date

Witness.

Signature :

Name:

Address :

Warning : Any person making any misrepresentation is liable to be prosecuted.

FORM No. 3

(See paragraph 4)

(For claims in respect of loss of property, means of livelihood, business etc. due to the Bhopal gas leak disaster)

1. Name of the claimant(s)
(capital letters)
2. Father's/husband's name
3. Address
4. Age
5. Occupation with details of monthly income
6. Particulars of property lost/damaged
(please give proof where available)
(a) Immovable property ;
(b) Movable property including crops/ orchards/trees/animals, etc.
7. Particulars of loss of income on account of loss of livelihood/employment/business
8. Category in which the claim falls
[See paragraph 5(1) of the Scheme]
9. Ex-gratia payment/relief already received from Government and its agencies.
(a) In cash (b) in kind
10. Particulars of loans and/or subsidy received from Government or other agency with particulars of agency.
11. Any other relevant information.

*I/We/Institution have not made any other claim for compensation/have made other claims for compensation, the particular of which are given below :—

Sl. No.	Form No.	Date	Compensation sought

*I/We/Institution have not filed a separate suit in a court of law for compensation/have filed suit as detailed below in court of law :—

Sl. No.	Court where suit filed	Suit No.	Compensation sought

Place :

Signature (with date)

Name:

Designation:

(Seal if any)

Witness:

1. Signature :
2. Name :
3. Address :

*Strike out whichever is not applicable.

Verification

I———————————————do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

Place : Signature (with date)

Name :

Witness : Designation :

(Seal if any)

Signature :

Name :

Address :

Warning : Any person making any misrepresentation is liable to be prosecuted.

FORM No. 4

(see paragraph 4)

(For claims by Government, authorities under the control of Government and other local authorities on account of expenditure incurred, loss of revenue, etc. due to Bhopal Gas leak disaster)

1. Name of claimant :
2. Whether Government/authority under the Control of Government/local authority :
3. Role played with reference to the Bhopal Gas leak disaster :
4. Expenditure incurred under different heads with supporting documents such as expenditure on equipment, stores and supplies, relief and rehabilitation measures, technical services :
5. Loss/damage caused to property with details :
6. Loss of income/revenue, with details :
7. Any other loss (with details) :
8. Category in which the claim falls
   [see paragraph 5(1) of the Scheme]

*———————Government/———————authority have not made any other claims for compensation/———————Government/———————Authority have made other claims for compensation, the particulars of which are given below :—

Sl. No.	Form No.	Date	Compensation sought

*————————Government/————————authority have not filed a separate suit in a court of law for compensation/————————Government/————————Authority have filed suit as detailed below in court of law :

S. No.	Court where suit filed	Suit No.	Compensation sought

*Strike out whatever is not applicable.

Place :

Date : Signature :

Name :

Designation :

Witness : (Seal if any)

Signature :

Name :

Address :

Verification

I————————————————do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct. complete and is truly stated.

Place :

Signature
(with date)

Name :

Witness : Designation :

Signature : (Seal if any)

Name :

Address :

Warning : Any person making any misrepresentation is liable to be prosecuted.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985